

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सालासर ओवरसिस

बनाम

भंवरलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

160
2023

04/09/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 41 नियम 27 सीपीसी पर सुनी गयी | उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तत्पश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15 ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुए उनकी मौखिक बहस सुने जाने का निवेदन किया गया | अतः अधिवक्ता रेस्पो. कि मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा पेश किया गया था एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 08/2021 में पारित आदेश दिन क 22/01/2021 एवं दाया संख्या 11/2015 में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/03/2019 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले क्रमशः 160/2023 व अपील संख्या 600/2022 प्रस्तुत की गयी है | अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार नहीं है | अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा-95 सीपीसी के साथ अपील प्रस्तुती की स्वीकृति इस न्यायालय के समक्ष चाही गयी है तथा अपीलार्थी ने विवादग्रस्त भूमि को जरिये एग्रीमेंट के आधार पर खरीदना बताया गया है | एग्रीमेंट के सन्दर्भ में दावा सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं एग्रीमेंट से कोई टाइटल अपीलार्थी को नहीं मिल सकता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन आदेश दिनांक 22/01/2021 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/03/2019 पारित किया गया है, जिसमे तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटी नहीं होने से दोनों अपीले अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के प्रांशेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीले क्रमशः अपील संख्या 600/2022 व 160/2023 जरिये एग्रीमेंट विवादग्रस्त भूमि क्रय करना अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 जासा दीवानी के साथ पेश की है | इस सन्दर्भ में विधि में निहित प्रावधानों के अनुसार एग्रीमेंट के आधार पर राजस्व न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के अपीलार्थी अधिकारी नहीं माने जा सकते एवं एग्रीमेंट के आधार पर अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं रह जाते है | अतः अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जासा दीवानी एवं अपील के गुणावगुण में कोई बल नहीं होने

अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सालासर ओवरसिस बनाम भंवरलाल

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील
हुक्म के
में जारी

से दोनों अपीले क्रमशः 600/2022 व 160/2023 मय प्रार्थना पत्र धारा-96 जामा दीवानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

